प्रेस नोट दिनांक- 08.05.2025

थाना धानापुर, जनपद चन्दौली

थाना धानापुर व स्वाट/सर्विलांस पुलिस टीम के संयुक्त प्रयास से हत्या के आरोपित अभियुक्तों को संरक्षण देने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 01.05.2025 को वादी विकाश यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी रायपुर बभनियांव थाना धानापुर द्वारा थाना धानापुर पर राजकुमार यादव उर्फ मुट्टन यादव की हत्या के सम्बन्ध में तहरीर दिया गया वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धानापुर पर मु.अ.सं 53/2025 धारा 103(1), 190, 191(2),191(3),352 BNS विरूद्ध गोपाल सिंह सहित 06 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध अंकुश लगाने एवं अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनन्त चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक शरद गुप्ता थाना धानापुर व प्रभारी स्वाट/सर्विलांस उ0नि0 आशीष मिश्रा के नेतृत्व में थाना धानापुर व स्वाट/सर्विलांस पुलिस टीम के संयुक्त प्रयास से मु0अ0सं0 53/2025 धारा 103(1)/190/191(2)/191(3)/352 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तों की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों द्वारा घटना में प्रयुक्त की गयी मोटरसाईकिलें टीवीएस अपाचे सफेद रंग व हीरो सुपर स्प्लेण्डर काला रंग जिनकी विभिन्न सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से तस्दीक की गयी थी ग्राम माधोपुर सिलौटा ताल में सड़क के किनारे लावारिस हालत में पड़ी हुयी पायी गयी जिन्हें पुलिस द्वारा कब्जें में लेकर जाँच प्रारम्भ की गयी तो जानकारी हुयी कि अभियुक्त का पूर्व से ही मनोज त्रिपाठी उर्फ पप्पू के घर आना जाना था तथा उक्त वाहनों को अभियुक्तों द्वारा घटना में प्रयुक्त करने के उपरांत मनोज त्रिपाठी उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 मेघनारायण तिवारी निवासी ग्राम अहिकौरा (ओड़वला) थाना धानापुर जनपद चन्दौली के घर पर ले जाया गया जहाँ पर मनोज त्रिपाठी उर्फ पप्पू द्वारा वाहनों को अपने घर की बाउंड्री के अन्दर खड़ी करवाये तथा बदमाश उसके मकान के पिछले दरवाजे से निकलकर चले गये तथा मनोज त्रिपाठी उर्फ पप्पू द्वारा उक्त मोटर साईकिलों को रात के अन्धेरे में ले जाकर ताल में खड़ी कर दिया गया। जिसके आधार पर मनोज तिवारी उर्फ पप्पू की घटना में संलिप्तता पाते हुए उसका नाम प्रकाश में लाकर अभियोग में धारा 61 (2) बीएनएस की वृद्धि करके अभियुक्त मनोज तिवारी उर्फ पप्पू उपरोक्त की तलाश प्रारम्भ की गयी।

दिनांक 07.05.2025 को मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त मनोज त्रिपाठी उर्फ पप्पू थाना धानापुर क्षेत्र स्थित रमरजाय चट्टी के पास से पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर घेराबन्दी करके उसे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

थाना स्थानीय द्वारा मुखबिर की सूचना, सीसीटीवी फुटेज व स्थानीय व्यक्तियो एवं अन्य व्यक्तियों से पूछताछ के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि 1-अभिषेक सिंह उर्फ रामनाथ उर्फ पहलवान सिंह पुत्र स्व0 गुलाब सिंह नि0 महुवरकला थाना बलुआ जनपद चन्दौली,2- गोपाल सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह नि0 ग्राम बूढेपुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली, 3-विशाल पासी पुत्र लालचन्द्र पासी निवासी ग्राम सिहोरी थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। घटना में संलिप्त अन्य

अभियुक्तों की पहचान हेतु गठित टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा है। घटना में प्रयुक्त काली कलर की सुपर स्पेलंडर बाइक के विषय में तस्दीक की गयी तो सुपर स्पलेंडर बाइक हिस्ट्रीशीटर अरविंद यादव के भाई शैलेन्द्र यादव के नाम से पंजीकृत है। बरामद दूसरी अपाची बाइक के विषय में तस्दीक की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मनोज तिवारी उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 मेघनारायण तिवारी निवासी ग्राम अहिकौरा (ओड़वला) थाना धानापुर जनपद चन्दौली

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 53/2025 धारा 103(1)/190/191(2)/191(3)/352/61(2) बीएनएस

बरामदगी विवरण-

1.टीवीएस अपाचे सफेद रंग

2.हीरो सुपर स्पेलेण्डर काला रंग

पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 रामजी सैनी
2. उ0नि0 सूरज सिंह
3. हे0का0 संजय सोनकर
4. का0 अमित कुमार यादव
5. का0 अभिषेक दूबे
6. का0 सोनू यादव

स्वाट/ सर्विलान्स टीम-

1. प्रभारी स्वाट/ सर्विलान्स टीम उ0नि0 आशीष मिश्रा
2. हे0का0 प्रेम प्रकाश यादव
3. हे0का0 विजेन्द्र कुमार सिंह
4. हे0का0 राणा सिंह
5. हे0का0 अरविन्द कुमार भारद्वाज
6. का0 अजीत सिंह
7. का0 नीरज मिश्रा
8. का0 गणेश तिवारी